



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेश कालोनी, भोपाल-462016

☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com,

क्रमांक

/स्था/मुप्रनिबो/2017,

भोपाल, दिनांक

// कार्यालय आदेश //

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत परिसंकटमय अपशिष्ट नियम, 2016 तथा जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा ऑनलाईन संयुक्त सम्मति आवेदन पत्रों के निराकरण की कार्यवाही एक्स.जी.एन. साफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है। आधार कार्ड आधारित ई-साईन युक्त संयुक्त सम्मति पत्र की डिजिटल प्रति xgn.mp.nic.in पर उपलब्ध है।

समस्त यूनिट हेड व क्षेत्रीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जारी की गई सम्मति/ नवीनीकरण/ प्राधिकार पत्र की कापी इनके हस्ताक्षर से प्रतिलिपि कर सर्वसंबंधित विभागों को प्रेषित की जाये। पूर्व में जारी सम्मतियों की भी प्रतिलिपि एकजाई उपलब्ध करा दी जाए। पत्र की प्रतिलिपि निम्नानुसार संबंधितों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये :-

1. उद्योग विभाग/खनिज साधन विभाग (म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन)/संबंधित कलेक्टर (जिला खनिज अधिकारी)।
2. संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी।
3. संबंधित शाखा प्रभारी।
4. अन्य संबंधित।
5. मूल नस्ती।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

भोपाल, दिनांक 02 AUG 2017

पृ. क्रमांक 2080 स्था/मुप्रनिबो/2017,

प्रतिलिपि :-

1. समस्त यूनिट हेड, तकनीकी शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ। *एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु।*
2. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/प्रयोगशाला प्रभारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ। *एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु।*
3. आई.टी. प्रभारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने बावत्।
4. तकनीकी शाखा/गार्ड फाईल।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव